संख्या 147 /2017/1891(2)/ सात-न्याय -9(बजट)-2017-800/(37)/2017

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 13 दिसम्बर,2017**

विषय- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मा0 न्यायमूर्तिगणों के लिए ग्राम देवघाट (झलवा) में प्रस्तावित न्याय ग्राम टाउनशिप में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र स0-540/अवस्थापना सेल(मा0 उच्च न्यायालय), दिनांक 02-12-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मा0 न्यायमूर्तिगणों के लिए ग्राम देवघाट (झलवा) में प्रस्तावित न्याय ग्राम टाउनशिप में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु आगणन रू04912.73 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ प्रथम किश्त के रूप में **रू01400.00 लाख (रूपये चौदह करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- चूंकि प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था नामित है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद को उपलब्ध कराने हेतु महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अधिकृत किया जाता हैं ।

2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

3- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप जनपद न्यायाधीश/निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

4- निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक बैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- निर्माण कार्य आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों के अनुसार कराया जायेगा, इसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य कराना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

यदि अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम मे न तो स्वीकृत है, और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में अच्छादित है।

7- लागत आकंलन प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

9- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

10- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11- प्रायोजना में वर्क टू बी डन की लागत हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

12- भविष्य में प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अलग से आगणन का गठन किया जाय ।

13- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस – 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

14- निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

15- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

16- प्रश्नगत प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन एवं शर्तो तथा प्रतिबन्धो का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

17- भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्षम लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । दिनांक 01 सितम्बर,2017 से प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू की गयी है। इसका नियमानुसार अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय- 01-सरकारी रिहायशी भवन-700- अन्य आवास - 07-मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लिए आवासीय भवनों का निर्माण - 00- 24- वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-12-1353(2)/दस-2017, दिनांक 12 दिसम्बर ,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

<u>सं0- 147 /2017/1891(3)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निबन्धक, (प्रोटोकाल)मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाइन इन्दिरा भवन, इलाहाबाद ।
6- मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग लखनऊ ।
7- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद ।
8- वित्त ई- 12 / सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।